2020 विधान परिषद आम चुनाव

चुनाव का संक्षिप्त विवरण

मतदान की तिथि और घंटे

- मतदान का दिन: 6 सितंबर, 2020 (रविवार)
- मतदान का घंटे: सुबह 7:30 बजे से रात–10:30 बजे तक (जेलखानो में स्थित समर्पित मतदान केंद्रों को छोड़कर जहां पर मतदान के घंटे सुबह 9:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक होंगे)

नामांकन अवधि

- उम्मीदवारों हेतु नामांकन की अवधि :18 से 31 जुलाई 2020
- नामांकन फॉर्म पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय ("REO") की वेबसाइट (www.reo.gov.hk) से डाउनलोड किया जा सकता है या निम्नलिखित कार्यालयों से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है:
  (a) जिला कार्यालय
  (b) निर्वाचन अधिकारियों का कार्यालय
  (c) REO कार्यालय (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong or Unit 2301-03, 23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon)

विधान परिषद का सारांश

विधान परिषद की संरचना

- सातवीं विधान परिषद (2020-2024) 70 सदस्यों से बनी है, जिसमें से 35 भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से और अन्य 35 को कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्रों से आएंगे ।
- 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले कार्यालय की अवधि चार वर्ष है।

भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र ("GC") – 35 सीटें

(1)	हांगकांग आइलैंड	6 सीटें
(2)	कॉव्लून वेस्ट	6 सीटें
(3)	कॉव्लून ईस्ट	5 सीटें

(4) न्यू टेरेटररीज वेस्ट 9 सीटें

(5) न्यू टेरेटररीज ईस्ट 9 सीटें

मतदान प्रणाली: आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली

कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र ("FC") – 35 सीटें

(1)	हयुंग यी कुक *	1 सीट
(2)	कृषि और मत्स्य (एग्रीकल्चर एंड फिशरीज)*	1 सीट
(3)	बीमा (इंश्योरेंस)*	1 सीट
(4)	परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन)*	1 सीट
(5)	शिक्षा (एडुकेशन)	1 सीट
(6)	कानून (लीगल)	1 सीट
(7)	लेखा (अकाउंटेंसी)	1 सीट
(8)	चिकित्सा (मेडिकल)	1 सीट
(9)	स्वास्थ्य सेवा (हेल्थ सर्विस)	1 सीट
(10)	अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग)	1 सीट
(11)	कृषि, सर्वेक्षण, योजना और भौगोलिक बनावट (एग्रीकल्चर, सर्वेइंग, प्लैनिंग एंड लैंडस्केपिंग)	1 सीट
(12)	श्रम (लेबर)	3 सीटें
(13)	समाज कल्याण (सोशल वेलफेयर)	1 सीट
(14)	अचल संपत्ति और निर्माण (रियल एस्टेट एंडकंस्ट्रक्शन)	1 सीट
(15)	पर्यटन (टूरिज्म)	1 सीट
(16)	व्यावसायिक (प्रथम)(कमर्शियल(फर्स्ट))	1 सीट
(17)	व्यावसायिक (द्वितीय) (कमर्शियल(सेकेंड))	1 सीट
(18)	औद्योगिक (प्रथम)(इंडस्ट्रियल (फर्स्ट))	1 सीट
(19)	औद्योगिक (द्वितीय)(इंडस्ट्रियल(सेकेंड))	1 सीट
(20)	वित्त (फाइनेंस)	1 सीट
(21)	वित्तीय सेवा (फाइनेंस सर्विस)	1 सीट
(22)	खेल, प्रदर्शन कलाएं (स्पोर्ट्स, परफार्मिंग आर्ट्स) संस्कृति और प्रकाशन (कल्चर एंड पब्लिकेशन)	1 सीट
(23)	आयात और निर्यात (इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट)	1 सीट

(24) कपड़ा और परिधान (टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट)	1 सीट
(25) थोक और खुदरा (होल सेल एंड रिटेल)	1 सीट
(26) सूचना प्रौद्योगिकी (इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी)	1 सीट
(27) खानपान(कैटरिंग)	1 सीट
(28) जिला परिषद(प्रथम)डिस्ट्रिक्ट कॉउंसिल (फर्स्ट)	1 सीट
(29) जिला परिषद (द्वितीय)डिस्ट्रिक्ट कॉउंसिल (सेकेंड)	5 सीटें

*तीन मतदान प्रणाली: (a) * के साथ चिह्नित पहले चार विशेष FCs के लिए मतदान की तरजीही उन्मूलन प्रणाली; (b) जिला परिषद (द्वितीय) FC के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली; और (c) शेष 24 साधारण FCs के लिए पहली-पास्ट-द-पोस्ट मतदान प्रणाली।*

1-व्यक्ति-2-वोट

- प्रत्येक मतदाता के पास भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक वोट और कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक वोट होगा।
- सभी भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक जो 28 पारंपरिक कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं हैं, वे जिला परिषद (द्वितीय) FC में पंजीकृत होने के योग्य हैं।

मतदान कौन कर सकता है?

- पंजीकृत मतदाता जिनके नाम 2020 में प्रकाशित भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाताओं का अंतिम रजिस्टर में शामिल किए गए हैं।
  www.voterregistration.gov.hk/eng/statistic2020.html

मतदान क्यों करें ?

- संबंधित भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र और / या कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक विधान परिषद सदस्य का चुनाव करने के लिए ।
- अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ।

मतदान कहां करें ?

- प्रत्येक मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि (“AR”) को जहाँ तक व्यावहारिक हो, मतदाताओं के अंतिम रजिस्टर में पंजीकृत उसके आवासीय पते के पास एक नामित मतदान केंद्र के लिए नियत किया जाएगा।

- हिरासत में निर्वाचकों को दंडित संस्थानों या पुलिस स्टेशनों में, जो भी उपयुक्त हो, समर्पित मतदान केंद्रों पर मतदान करने की व्यवस्था की जाएगी।
- मतदान दिवस के लगभग 10 दिन पहले संबंधित मतदाता या AR को एक मतदान कार्ड जारी किया जाएगा, जिस पर एक व्यक्तिगत मतदाता या AR के लिए उसके नामित केंद्र के बारे में जानकारी प्रकाशित होगी।
- मतदान कार्ड से जुड़े स्थान के नक्शे में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि एक निर्वाचक या AR को आवंटित मतदान केंद्र विशेष जरूरतों (व्हीलचेयर उपयोगकर्ता या चलने-फिरने में कठिनाई वाले व्यक्ति) वाले मतदाताओं के लिए सुलभ है या नहीं।, यदि निर्धारित मतदान केन्द्र सुलभ नहीं पाया जाता है तो वह मतदाता या AR व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ मतदान केन्द्र पर वोट ड़ालने के लिए REO को फैक्स (2891 1180), ईमेल (reoenq@reo.gov.hk), टेलीफोन (2891 1001) या ड़ाक (रजिस्ट्रैशन एंड़ इलेक्टोरल ऑफिस, 10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong) द्वारा 1 सितंबर 2020 से पहले आवेदन कर सकते हैं।
- यदि मतदाताओं को मतदान पर जानकारी के लिए व्याख्या सहायता की जरुरत है, तो वे 24 अगस्त से 28 अगस्त तक और 31अगस्त से 6 सितंबर 2020 तक निम्नलिखित हॉटलाइन के माध्यम से अल्पसंख्यक जातियों के लिए केंद्र (“CHEER”)से संपर्क कर सकते हैं।

भाषा	**हॉटलाइन नं**
बहासा इंडोनेशिया	3755 6811
हिंदी	3755 6877
नेपाली	3755 6822
पंजाबी	3755 6844
तागालोग	3755 6855
थाई	3755 6866
उर्दू	3755 6833
वियतनामी	3755 6888

मतदान कैसे करें ?

- 6 सितंबर 2020(रविवार) को मतदान के समय (सुबह 7:30 से रात - 10:30 बजे तक) अपने नामित मतदान केंद्र पर अपने हांगकांग पहचान पत्र (“HKID”) या अन्य निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेज ले कर आयें (कृपया विवरण के लिए नीचे दिए गए “मतपत्र एकत्र करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़" अनुभाग देखें) लेकर आएं।

- अपने HKID या अन्य निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेज़ों को मतदान केंद्र के अंदर मौजूद कर्मचारियों को प्रस्तुत करें, जो आपकी जानकारी को मतदाताओं का अंतिम रजिस्टर से जांच कर सत्यापित करेंगे।
- आपको एक मतपत्र, "✓" (सही का निशान) लगी हुई चॉप के साथ एक कार्डबोर्ड अपनी पात्रता के आधार दिया जाएगा। GC और जिला परिषद (द्वितीय)FC का मतपत्र मतदान कर्मचारियों द्वारा पहले से मोड़ा हुआ होता है। चार विशेष FC (यानी हयुंग यी कुक FC, कृषि और मत्स्य पालन FC, बीमा FC और परिवहन FC) के एक मतदाता या AR को एक काली कलम भी दी जाएगी । उसके बाद, आपको तुरंत एक मतदान-कक्ष पर जाना चाहिए।
- आप अपने मतपत्र को एक मतदान-कक्ष के अंदर चिह्नित करें। कृपया मतपत्र पर लिखे और मतदान कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और साथ ही कक्ष के अंदर लगी सूचनाओं पर ध्यान दें।
- आपको (चार विशेष FC के मतदाताओं या AR को छोड़कर) मतपत्र पर उम्मीदवार की सूची के विपरीत या अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे दिए हुए घेरे में कार्डबोर्ड से संलग्न "✓" (टिक) चॉप का उपयोग करना चाहिए।
- मतदाता या चार विशेष FC के AR में से, कृपया अपनी पहली वरीयता के उम्मीदवार के नाम के विपरीत, घेरे में काले पेन से अरबी नंबर “1” को चिह्नित करें और दूसरी वरीयता के उम्मीदवार के नाम के विपरीत घेरे में अरबी नंबर “2” को चिह्नित करें और इसी तरह। आपको केवल एक उम्मीदवार के लिए पहली वरीयता अंकित करनी चाहिए।
- यदि आपने किसी मतपत्र को चिह्नित करने में कोई त्रुटि की है या अनजाने में एक मतपत्र को खराब कर दिया है, तो आप उस मतपत्र को निर्वाचन अधिकारी को वापस कर प्रतिस्थापन की मांग कर सकते हैं।
- मतपत्र को चिह्नित करने के बाद:

  (a) एक GC मतदाता को मतदान कर्मचारियों द्वारा किये गए पूर्व-तह के अनुसार एक बार मतपत्र को मोड़ना चाहिए ताकि नीले रंग के मतदान-पेटी में डालने से पहले चिह्नित पक्ष "✓" (टिक) को छिपाने के लिए अंदर की तरफ हो।

  (b) एक जिला परिषद (द्वितीय)FC निर्वाचक को इसी तरह एक बार मतपत्र को मोड़ना चाहिए और फिर इसे सफेद मतपेटी में डालना चाहिए; तथा

  (c) एक मतदाता या अन्य FC के AR को मतपत्र को मोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसे नीचे की ओर रख कर लाल बैलेट बॉक्स में डालना चाहिए।

मतपत्र (त्रों) प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- 10 दिसंबर 2018 से, मतपत्र (त्रों) के लिए आवेदकों को अपना हांगकांग पहचान पत्र ("HKID कार्ड") या निम्नलिखित निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेज (जों)की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है:

(a) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (“HKSAR”) के वैध पासपोर्ट की मूल प्रति; या

(b) छूट के प्रमाण पत्र की मूल प्रति; या

(c) HKID कार्ड के आवेदन स्वीकृति पावती की मूल प्रति; या

(d) नाविक या जहाज के कर्मचारी की वैध पहचान पुस्तिका की मूल प्रति; या

(e) वीजा उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के पहचान के वैध दस्तावेज की मूल प्रति; या

(f) एक पुलिस अधिकारी द्वारा जारी एक प्रामाणिक रिपोर्ट दस्तावेज (आमतौर पर "खोई हुई संपत्ति का एक रिकॉर्ड") कि उस व्यक्ति का HKID कार्ड या छूट का प्रमाण पत्र या HKID कार्ड के लिए आवेदन स्वीकृति पावती खो गए या नष्ट हो गए हैं, उसके नाम और फोटो को दर्शाते हुए एक वैध पासपोर्ट या इसी तरह के यात्रा दस्तावेज की मूल प्रति के साथ (जैसे कि HKSAR पासपोर्ट के अलावा अन्य पासपोर्ट या घर वापसी परमिट) ।

- विवरण के लिए, कृपया निर्वाचन मामलों के आयोग (चुनावी प्रक्रिया) (विधान परिषद) विनियमन (CAP 541D) की धारा 50 का संदर्भ लें।

मतदाताओं के लिए चेकलिस्ट

- भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतंत्र आयोग (“ICAC”) द्वारा लागू किए जाने वाले चुनाव (भ्रष्ट और अवैध आचरण) अध्यादेश (कैप 554) के अनुसार, एक मतदाता को हांगकांग या अन्य जगहों पर निम्नलिखित नही करना चाहिए:

  (a) चुनाव में वोट न डालने के लिए या एक विशेष उम्मीदवार के लिए वोट डालने या न डालने के लिए किसी एक व्यक्ति से कोई लाभ (पैसा,उपहार,सहित इत्यादि), खाना, पेय या मनोरंजन मांगना या स्वीकार करना;

  (b) किसी भी व्यक्ति को किसी चुनाव में किसी को वोट न देने, या विशेष उम्मीदवार को वोट देने या न देने के लिए किसी पुरस्कार के रूप में किसी भी व्यक्ति को (पैसा,उपहार,सहित इत्यादि), भोजन, पेय या मनोरंजन के लिए कोई भी लाभ प्रदान करना।

  (c) किसी चुनाव में वोट देने या न देने या किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने या न देने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ बल या अवरोध का उपयोग करना या उपयोग की धमकी देना।

  (d) किसी व्यक्ति को किसी चुनाव में किसी विशिष्ट उम्मीदवार या विशेष उम्मीदवारों को वोट देने या न देने के लिए धोखे से प्रेरित करना, या या किसी व्यक्ति को चुनाव में मतदान करने से धोखे से रोकना या उसमें अवरोध उत्पन्न करना।

  (e) मतदान का हकदार न होने की जानकारी होते हुए भी चुनाव में मतदान करना।

  (f) जानबूझकर या लापरवाही से गलत या भ्रामक जानकारी (उदाहरणतः गलत आवासीय पता) निर्वाचन अधिकारी को देने के बाद चुनाव में मतदान करना।

- ICAC की साफ- सुथरे चुनाव पर एक समर्पित वेबसाइट है और प्रासंगिक जानकारी (अंग्रेजी और चीनी

दोनों में) प्रदान करती है । कृपया www.icac.org.hk/elections. वेबसाइट देखें।

- निम्नलिखित गतिविधियाँ भी निषिद्ध हैं:

(a) अन्य मतदाताओं के साथ संवाद करना जिसमें मतदान केंद्र पर अपना मत पत्र दूसरों को दिखाना या मतदान केंद्र के भीतर इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए मोबाइल टेलीफोन या अन्य उपकरण का उपयोग करना शामिल है।

(b) मतदान केंद्र के भीतर फिल्म बनाना ,तस्वीरें लेना या कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना।.

(c) अन्य मतदाताओं से अपने मत पत्र को चिह्नित करने के लिए कहना - आवश्यकता होने पर, आप निर्वाचन अधिकारी से एक मतदान अधिकारी की उपस्थिति में अपने मतदान-पत्र को चिह्नित करने के लिए कह सकते हैं।

(d) अन्य मतदाताओं के साथ, जो अपने मत डाल रहे हैं, हस्तक्षेप करना।